

**राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 26 10 2020 (अक्टूबर से दिसंबर 2020) को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त**

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र कार्यालय में दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 को प्रातः 11 बजे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री के वी एस बाबा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई जिसमें राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया ।


**राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य**

श्री के वी एस बाबा, अध्यक्ष  
श्री एस एस बड़पंडा, सदस्य  
श्री देबाशिस डे, सदस्य  
श्री जी चक्रबोर्ती सदस्य  
श्री देवेन्द्र कुमार, सदस्य  
श्री समीर चन्द्र सक्सेना, सदस्य  
श्री आर के पोरवाल, सदस्य  
श्री अनिल मेहता, प्रबन्धक (राजभाषा)

प्रबन्धक (राजभाषा) ने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय व सभी सदस्यों का राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में पधारने पर हार्दिक स्वागत किया । अध्यक्ष महोदय ने गत बैठक की समीक्षा की और गत तिमाही की समीक्षा करने के उपरांत सभी विभागों को राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने और अधिकाधिक कार्य राजभाषा में करने के लिए प्रोत्साहित किया व अक्टूबर माह में गृह मंत्रालय के उपनिदेशक(राजभाषा) द्वारा कार्यालय के वर्चुअल निरीक्षण के उपरांत उनके द्वारा दिए गए निम्नलिखित सुझावों पर अमल करने हेतु जोर दिया जिससे राजभाषा का अधिकाधिक प्रयोग पोसोको कार्यालय में हो सके : -

- 1.0 पोसोको की बोर्ड मीटिंग का एजेंडा व कार्यवृत्त द्विभाषी रूप में होने पर अध्यक्ष महोदय ने आग्रह किया ।
- 2.0 पोसोको द्वारा जारी सभी टेंडर के कागजात द्विभाषी रूप में करने पर अध्यक्ष महोदय ने आग्रह किया व सभी विभागाध्यक्षों से आग्रह किया गया कि उनके विभाग में अधिक से अधिक कार्य राजभाषा हिन्दी में किया जाए ।
- 3.0 विद्युत मंत्रालय व अन्य सरकारी संस्थानों में भेजे जाने वाले पत्र द्विभाषी रूप में हों अन्यथा जहां तक जरूरी हो राजभाषा हिन्दी में ही भेजे जाएँ।
- 4.0 मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी सभी परिपत्र व कार्यालय आदेश द्विभाषी रूप में जारी हों।
- 5.0 मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा जारी सभी परिपत्र, कार्यालय आदेश, प्रशिक्षण सामाग्री द्विभाषी रूप में जारी हों।
- 6.0 वित्त विभाग से जारी होने वाली सेलेरी स्लिप व इनकम टैक्स स्लिप द्विभाषी रूप में जारी हो व वित्त विभाग में जमा करने वाले सभी दावों को हिन्दी में ही भरे जाने के बाद स्वीकृत दी जाए ।

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



(अनिल मेहता)

प्रबन्धक (राजभाषा)

दिनांक 26 अक्टूबर 2020